

न्यूज़ टुडे

इसरो का आदित्य-L1 ऐतिहासिक सौर तूफान अध्ययन के वैश्विक प्रयास में शामिल हुआ

6 अमेरिकी उपग्रहों के साथ, आदित्य-L1 ने यह प्रकटीकरण किया है कि मई 2024 के प्रबल सौर तूफान ने, चुंबकीय पुनर्संयोजन घटना (Magnetic Reconnection Event) के कारण असामान्य रूप से व्यवहार किया था। इस तूफान को गैरन तूफान कहा जाता है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ चुंबकीय पुनर्संयोजन (Magnetic Reconnection): वर्ष 2024 के तूफान के दौरान, कोरोनल मास इजेक्शंस (CMEs) अंतरिक्ष में आपस में टकराए और एक-दूसरे पर इतना प्रबल दबाव उत्पन्न किया कि उनमें से एक के भीतर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खंडित हो गईं और नए तरीकों से फिर से जुड़ गईं। इस प्रक्रिया को चुंबकीय पुनर्संयोजन कहा जाता है।
- ▶ प्रभाव: चुंबकीय क्षेत्र के अचानक उलट जाने से तूफान अधिक प्रबल हो गया। इससे ऊर्जा में वृद्धि के कारण कणों की गति तीव्र हो गई, जिसने चुंबकीय पुनर्संयोजन घटना की पुष्टि की। आदित्य L-1 के बारे में
- ▶ आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है।
- ▶ इसे सितंबर 2023 में PSLV-C57 से प्रक्षेपित किया गया था।
- ▶ इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर सूर्य एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैंग्रेंजियन पॉइंट 1 (L1) के चारों ओर 'प्रभामंडल कक्षा (Halo Orbit)' में स्थापित किया गया है।
 - ⊕ L1 बिंदु बिना किसी बाधा/ ग्रहण के सूर्य का सतत अवलोकन प्रदान करता है।
- ▶ इसमें 7 विशिष्ट पेलोड हैं-
 - ⊕ विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ;
 - ⊕ सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर;
 - ⊕ प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य आदि।

सौर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शंस (CMEs) के बारे में

- ▶ सौर तूफान (Solar Storm): यह सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोटों की एक श्रृंखला से बना होता है, इन विस्फोटों को कोरोनल मास इजेक्शंस (CMEs) नाम दिया गया है।
- ▶ CMEs: यह वास्तव में सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अंतरिक्ष की ओर व्यापक स्तर पर उत्सर्जन है। कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है।
 - ⊕ प्रभाव: पृथ्वी से टकराने पर ये पृथ्वी की चुंबकीय ढाल (magnetic shield) को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उपग्रहों, संचार, जीपीएस और यहां तक कि पावर ग्रिड में भी बाधा आ सकती है।

भारत में स्कूल जाने वाले किशोरों में मादक द्रव्यों के सेवन (Substance use) की लत

नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया के एक हालिया अध्ययन के अनुसार स्कूली बच्चों में मादक द्रव्यों (ड्रग्स) के सेवन की प्रवृत्ति 11 वर्ष की उम्र से ही देखी जा रही है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ शुरुआत में ही लत लगना: बच्चों में किसी भी मादक द्रव्यों के सेवन की औसत प्रारंभिक आयु 12.9 वर्ष पाई गई। सूंघने वाले मादक द्रव्यों (इनहेलेंट) का सेवन शुरू करने की औसत उम्र 11.3 वर्ष दर्ज की गई जो सबसे कम है।
- ▶ मादक द्रव्यों के सेवन की व्यापकता: 15.1% विद्यार्थियों ने जीवन में कम से कम एक बार मादक द्रव्यों के सेवन की बात स्वीकार की। वहीं, 10.3% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि उसने पिछले एक वर्ष में मादक द्रव्य का सेवन किया है।
- ▶ स्कूली बच्चों में मादक द्रव्यों की बढ़ती लत के कारण
 - ▶ सोशल मीडिया की भूमिका: सोशल मीडिया पर मादक द्रव्यों के सेवन को मोहक या आकर्षक बनाकर पेश करना (ग्लैमराइजेशन) तथा ऑनलाइन मिलों का प्रभाव बच्चों में ऐसे पदार्थों के सेवन को सामान्य बना देता है।
 - ▶ अभिभावक द्वारा निगरानी की कमी: बच्चों की गतिविधियों की कम निगरानी, उनकी भावनात्मक उपेक्षा और अनुशासन की कमी जैसे तत्व बच्चों को परिवार से मिलने वाली पारंपरिक सुरक्षा से वंचित कर देते हैं।
 - ▶ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं: चिंता, अवसाद, अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी विकार (ADHD), आवेगशीलता और व्यवहार जनित विकार की वजह से बच्चों में मादक द्रव्यों की लत लग जाती है।

आगे की राह

- ▶ शुरुआती रोकथाम और जागरूकता अभियान: स्कूल-स्तर पर मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम आधारित कार्यक्रम चलाकर बच्चों को जागरूक और सक्षम बनाना चाहिए। उन्हें जीवन-कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- ▶ अभिभावक और समुदाय द्वारा निगरानी: माता-पिता की निगरानी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखकर और समुदाय के स्तर पर सतर्कता बढ़ाकर बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के शुरुआती संकेतों की पहचान की जा सकती है। इसके साथ ही सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।
- ▶ सख्त कानून और जीरो-टॉलरेंस नीति:
 - ⊕ स्कूलों के पास मादक पदार्थों को बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए;
 - ⊕ पुलिस प्रशासन और स्कूलों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए, और
 - ⊕ बाल संरक्षण कानूनों के तहत दोषियों पर त्वरित अभियोजन चलाना चाहिए।
- ▶ काउंसलिंग, पुनर्वास और मानसिक सेहतमंदी पर जोर देना: बाल-अनुकूल काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता और व्यसन मुक्ति जैसी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS)

संयुक्त राज्य अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA)” को अपना मुख्य एजेंडा घोषित करती है।

- यह रणनीति आर्थिक राष्ट्रवाद तथा संप्रभुता, मातृभूमि की रक्षा, आत्मनिर्भरता आदि सहित प्रमुख राष्ट्रीय हितों के अनुसरण पर केंद्रित है।
- यह पिछली NSS से एक बड़ा बदलाव है, जो गठबंधन, व्यापार उदारीकरण, बहुपक्षवाद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि पर ध्यान केंद्रित करती थी।

नई रणनीति की मुख्य विशेषताएं

- क्षेत्रीय प्राथमिकताएं: यह पश्चिमी गोलार्द्ध को अमेरिका की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखती है। इसमें मुनरो सिद्धांत को फिर से स्थापित करना और इस क्षेत्र में अमेरिका की पूर्व-प्रतिष्ठा को पुनर्बहाल करना शामिल है।
 - मुनरो सिद्धांत (1823) यूरोपीय शक्तियों के पश्चिमी गोलार्द्ध में अहस्तक्षेप से संबंधित था।
- नई विश्व व्यवस्था के अनुरूप महाशक्ति की अवधारणा: NSS अब रूस और चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं मानती है।
- वैचारिक बदलाव: यह रणनीति मूल्य-आधारित लोकतंत्र के प्रचार को “सभ्यतागत बहुलवाद” से बदल देती है। इससे देशों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा।
- एशिया की भूमिका: इसे अमेरिका के भविष्य के लिए केंद्रीय के रूप में चित्रित किया गया है, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत की पुष्टि करता है।

भारत के लिए मुख्य निहितार्थ

- संबंधों में सुधार: यह विशेष रूप से QUAD जैसे समूहों के माध्यम से हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए और किसी एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के प्रभुत्व को रोकने के लिए भारत के साथ वाणिज्यिक (व अन्य) संबंधों में सुधार पर जोर देती है।
 - QUAD में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- रणनीतिक स्वायत्तता: नीति में समाहित वैचारिक बदलाव भारत द्वारा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकल्प चुनने का समर्थन करता है।
- भू-राजनीतिक राहत और तनाव: अमेरिका और रूस के बीच संभावित शांति रूस के साथ भारत के संबंधों के अनुकूल है। हालांकि, अमेरिका द्वारा भारत व पाकिस्तान के बीच शांति में मध्यस्थता के संदर्भ राजनयिक तनाव बने हुए हैं।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने “जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट” पर वर्किंग पेपर जारी किया

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/AI) के उपयोग से जुड़े सबसे विवादास्पद कानूनी और नैतिक मुद्दों में कॉपीराइट का मामला अधिक मुखर होकर उभरा है।

- AI जनरेटिव मॉडल्स किसी कृति के रचनाकार के कॉपीराइट अधिकार की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मॉडल्स रचनाकार और नए उपकरणों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहे हैं।

जनरेटिव AI और कॉपीराइट से जुड़े मुद्दे

- इनपुट पक्ष – AI मॉडल्स के प्रशिक्षण में कॉपीराइट वाले कंटेंट का उपयोग: मुख्य चिंता यह है कि AI मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट वाले कंटेंट का उपयोग अक्सर कंटेंट के कॉपीराइट-धारक की अनुमति के बिना किया जाता है।
- आउटपुट पक्ष – AI से बनाए गए कंटेंट पर कॉपीराइट का दावा करना: इसके संबंध में निम्नलिखित चिन्ताएँ सामने आई हैं:
 - AI सृजित कार्यों के कॉपीराइट-योग्य होने की पात्रता का निर्धारण,
 - AI से बनाए गए कंटेंट के रचनाकार का निर्धारण,
 - AI-सृजित कार्यों पर नैतिक अधिकारों को लागू करने की पात्रता।

विनियामक से संबंधित समस्याएं

- AI मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए कानून में किसी अपवाद का अभाव: भारतीय कॉपीराइट कानून में वर्तमान में टेक्स्ट और डेटा माइनिंग या AI के प्रशिक्षण के लिए किसी विशेष अपवाद का उल्लेख नहीं है। अर्थात इनके लिए किसी विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- न्यायसंगत व्यवहार (फेयर डीलिंग) की व्याख्या में अस्पष्टता: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52(1)(a) में किसी रचना पर शोध, समीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए ‘न्यायसंगत व्यवहार (फेयर डीलिंग)’ अपवाद का उल्लेख है, हालांकि इसके दायरे में AI मॉडल्स का प्रशिक्षण शामिल है या नहीं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे कानूनी अनिश्चितता बढ़ती है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

- हाइब्रिड विनियामक मॉडल अपनाना: वर्किंग पेपर में एक मिश्रित मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार विधिसंगत रूप से उपलब्ध कॉपीराइट वाले सभी कंटेंट का AI प्रशिक्षण में “उपयोग का अधिकार (Matter of right)” प्रदान किया जाए। इसके बदले में कॉपीराइट धारकों को उचित मुआवजा (पारिश्रमिक) मिलना चाहिए।
- कॉपीराइट धारकों के लिए वैधानिक पारिश्रमिक का अधिकार: कॉपीराइट धारकों को रॉयल्टी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए।

अन्य देशों द्वारा अपनाए गए मॉडल्स

- स्वैच्छिक लाइसेंसिंग: इसमें कॉपीराइट धारकों को यह पूर्ण अधिकार होता है कि वे अपनी रचनाओं या कृतियों के उपयोग की अनुमति दें या मना करें।
- विस्तारित सामूहिक लाइसेंसिंग (Extended Collective Licensing): इस प्रणाली में सामूहिक प्रबंधन संगठन (CMOs) मूल रचनाओं के उपयोग के लिए सदस्यों और गैर-सदस्यों, दोनों की ओर से लाइसेंस जारी करते हैं। उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में प्रावधान।
- टेक्स्ट और डेटा माइनिंग अपवाद: इसके तहत कानून में एक अपवाद जोड़ा जाता है जो कॉपीराइट वाले कंटेंट के फिर से सृजन या उपयोग की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए: सिंगापुर का कानून।

अन्य सुर्खियां



मेफेड्रोन (Mephedrone)

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने 'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत महाराष्ट्र में एक मेफेड्रोन निर्माण सुविधा को उजागर किया।

मेफेड्रोन के बारे में

- यह एक नया साइकोएक्टिव पदार्थ (NPS) है। NPS एक ऐसी दवा होती है, जिसे स्थापित अवैध दवाओं के समान प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- यह MDMA (3, 4-मेथिलेनेडियोक्सीमेथामफेटामाइन, एक्स्टेसी) के समान प्रभाव प्रदर्शित करती है।
- इसे एक एम्पेथोजन-उत्तेजक (empathogen-stimulant) दवा माना जाता है। इसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क और शरीर के बीच गमन करने वाले संदेशों की गति को बढ़ाती है।
- मेफेड्रोन के सेवन को अवांछनीय प्रभावों और घातक नशे (fatal intoxications) से जोड़ा गया है।



पेंगुइन

एक अध्ययन में पाया गया है कि 2004-2011 के बीच लगभग 62,000 अफ्रीकी पेंगुइन की भुखमरी से मृत्यु हो गई।

पेंगुइन के बारे में

- ये स्पेनिसिडे (Spheniscidae) परिवार से संबंधित समुद्री पक्षियों का समूह हैं।
- पेंगुइन 17 से 19 प्रजातियों के पक्षियों का एक परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं।
 - ⊕ इनमें ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के नीले पेंगुइन, अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन, अफ्रीकी पेंगुइन, आदि शामिल हैं।
- विशेषताएं:
 - ⊕ पक्षी होने के बावजूद, इनके पास पंखों की बजाय फ्लिपर्स होते हैं और ये उड़ नहीं सकते।
 - ⊕ वे जमीन पर डगमगाते हुए चलते हैं, अनुकूल बर्फ की स्थिति में सीधे खड़े होकर चलते हैं और उत्कृष्ट तैराक होते हैं।
 - ⊕ उनके शरीर का ऊपरी भाग काला और पेट सफेद होता है, जो उन्हें मुख्य रूप से छोटे झींगे, मछली, केकड़े और स्क्रिड जैसे शिकार की तलाश के दौरान जल में छलावरण (camouflage) में मदद करता है।




ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक (GEO)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने GEO के 7वें संस्करण: 'ए फ्यूचर वी चूज़' (A Future We Choose) रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- मुख्य चिंतनीय मुद्दे:
 - ⊕ वर्ष 1990 से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वार्षिक 1.5% की वृद्धि हुई है।
 - ⊕ विश्व स्तर पर, वार्षिक 9 मिलियन मौतें किसी न किसी प्रकार के प्रदूषण के कारण होती हैं।
 - ⊕ भू-निम्नीकरण की वर्तमान दर से, वार्षिक रूप से कोलंबिया या इथियोपिया के आकार की उपजाऊ और उत्पादक भूमि का नुकसान हो सकता है।
- मुख्य सिफारिशें:
 - ⊕ पर्यावरण संरक्षण के लिए देशज ज्ञान और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करना चाहिए।
 - ⊕ नेट-जीरो उत्सर्जन के लिए 2050 तक वार्षिक लगभग 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
 - ⊕ समग्र-समाज और समग्र-सरकार के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण में केवल जीडीपी की बजाय मानव व प्राकृतिक पूंजी को ट्रैक करने वाले संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।



वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

CITES के पक्षकारों के सम्मेलन का 20वां संस्करण (CoP-20) उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ।

CoP-20 के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर

- 77 प्रजातियों को CITES परिशिष्टों (appendices) में शामिल किया गया। इनमें ओशनिक व्हाइटटिप शार्क, व्हेल शार्क आदि को परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
- भारत ने गुग्गुल को परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का सफलतापूर्वक विरोध किया, और पहले व्यापक आबादी आकलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

CITES के बारे में

- यह सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पादपों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा न बने।
- हालांकि, CITES सभी पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह किसी देश के राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है, बल्कि प्रत्येक देश इसे अपने राष्ट्रीय कानूनों के जरिए लागू करता है।
- यह प्रजातियों को उनकी सुरक्षा के स्तर के आधार पर परिशिष्टों में सूचीबद्ध करता है।
 - लागू: 1 जुलाई 1975।
 - पक्षकार: 185 (भारत सहित)।





पास-श्रु स्टेटस

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) ने कर राहत के लिए प्रतिभूति रसीदों (Security Receipts) में निवेश करने वाले वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) को भी पास-श्रु स्टेटस दिए जाने की मांग की।

पास-श्रु स्टेटस के बारे में

- यह किसी कंपनी के लिए निगम कर का भुगतान करने की बाध्यता को हटा देता है, जबकि इसके निवेशकों को होने वाली आय पर आयकर लगता है।
- एक कंपनी आमतौर पर दो बार कर का भुगतान करती है:
 - ⊕ शेयरधारकों द्वारा उत्पन्न आय के लिए आयकर; तथा
 - ⊕ कॉर्पोरेट स्तर पर निगम कर।
- यह दोहरे कराधान को रोकता है।
- वर्ष 2014 के केंद्रीय बजट ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) को पास-श्रु स्टेटस प्रदान किया था।



न्यूरोटेक्नोलॉजी

न्यूरोटेक्नोलॉजी उभरता हुआ क्षेत्र है। यह भविष्य में मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसे समझने और यहां तक कि उसे प्रभावित करने की हमारी क्षमता का विस्तार करेगा।

न्यूरोटेक्नोलॉजी के बारे में

- न्यूरोटेक्नोलॉजी में ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र की संरचना, गतिविधि एवं कार्यों को समझते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, सुधारते हैं या अनुमान लगाते हैं। इसके लिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तंत्रिका तंत्र का प्रत्यक्ष रूप से मापन, निगरानी व विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए-
- ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs): यह एक प्रमुख न्यूरोटेक्नोलॉजी है, जो मस्तिष्क संकेतों को डिजिटल कमांड में परिवर्तित करती है।
 - ⊕ कार्य: BCIs उपयोगकर्ताओं को अपनी सोच के अनुसार कंप्यूटर, व्हीलचेयर या रोबोटिक आर्म जैसे उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है।
 - ⊕ उपयोग: BCIs पक्षाघात के उपचार, मस्तिष्क विकारों के निदान, और अवसाद एवं पार्किंसंस के इलाज में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए: न्यूरोलॉजिक।



ब्लू नोटिस

CBI आरोपियों की अन्य अधिकार क्षेत्रों में आवाजाही को रोकने के लिए इंटरपोल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है, ताकि उनके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी करने में तेजी लाई जा सके।

ब्लू नोटिस के बारे में

- उद्देश्य: इसे इंटरपोल किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति, या गतिविधियों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी करती है।

अन्य महत्वपूर्ण नोटिस

- रेड नोटिस: अभियोजन के लिए या सज़ा देने के लिए वांछित (Wanted) व्यक्ति की अवस्थिति का पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने हेतु रेड नोटिस जारी किया जाता है।
- येलो नोटिस: लापता व्यक्तियों (विशेष रूप से नाबालिगों) का पता लगाने या स्वयं की पहचान करने में असमर्थ व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है।
- ऑरेंज नोटिस: खतरनाक व्यक्तियों, हथियारों, विस्फोटकों, या खतरनाक सामग्री से उत्पन्न गंभीर एवं आसन्न खतरों के बारे में सदस्य देशों को चेतावनी देता है।
- ग्रीन नोटिस: किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी प्रदान करना, जहां उस व्यक्ति को लोक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है।



भारत 6G अलायंस

भारत 6G मिशन की शीर्ष परिषद की बैठक ने भारत 6G अलायंस की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही, 2030 तक भारत को वैश्विक 6G लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए एक रोडमैप को भी आकार प्रदान किया।

भारत 6G अलायंस के बारे में

- यह सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्ट-अप्स को एकजुट करने वाला एक राष्ट्रीय सहयोग प्रदाता मंच है।
 - लक्ष्य: भारत को क्वायती 5G, 6G और भविष्य के दूरसंचार समाधानों के लिए IP (बौद्धिक संपदा), उत्पादों आदि का अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना।
- 6G के बारे में
- यह 5G की तुलना में उच्च रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करती है। इससे यह लगभग बिना किसी विलंब के एक साथ विशाल डेटा को संभाल सकती है।
 - 6G का लक्ष्य केवल एक माइक्रोसेकंड में जानकारी भेजना और प्राप्त करना है। यह 5G की प्रतिक्रिया समय से 1,000 गुना तेज है।

सुर्खियों में रहे स्थल



ब्राजील (राजधानी: ब्रासीलिया)

भारत के नौसेनाध्यक्ष ने ब्राजील की आधिकारिक यात्रा शुरू की।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्व का पांचवां सबसे बड़ा देश है।
- अवस्थिति: दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में।
- सीमाएं: यह अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है।
- तटरेखा: इसकी पूर्व की दिशा में अटलांटिक तटरेखा है।

भौगोलिक विशेषताएं

- प्राकृतिक संसाधन: स्वर्ण, बॉक्साइट, हीरे, प्लैटिनम, लोहा, टिन, कोयला, और कई अन्य खनिज।
- प्रमुख पर्वत: पिको दा नेब्लीना (सर्वोच्च)।
- प्रमुख नदियां: अमेज़न, पराना, आदि।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची



सीकर